कार्यालय नगर परिषद, विश्रामपुर

ज्ञापांक...179... दिनांक...30.5.17...

अल्पकालीन कोटेशन/दर आमंत्रण सूचना सं0 05/17–18

नगर परिषद, विश्रामपुर में चापाकल मरम्मति हेतु सामानों कि क्रय के लिए कोटेशन आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक निर्माणकर्ता/अधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता सीलबन्द लिफाफे में अपना निविदा/ कोटेशन दिनांक 08.06.17 को 01.00 बजे अपराह्न तक नगर परिषद, कार्यालय में जमा कर सकते है। निविदा/कोटेशन उसी दिन अपराह्न 2.00 बजें नगर परिषद, विश्रामपुर कार्यालय में निविदा निस्तारण समिति के समक्ष खोली जाएगी। कोटेशन समर्पित करने वाले कोटेशनदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।

क्र	सामग्री	विवरणी	शुल्क राशि (जो वापस नही होगी)
1	India Mark-II चापाकल मे लगने वाले सामाग्रीयो (Tata Make G.I. Pipe सहित)	ब्राण्डेड कम्पनी	5000.00

शर्ते

1 .निविदादाता को तकनिकि एवं वितीय निविदा अलग अलग देना होगा। तकनिकि निविदा में सफल होने पर वितीय लिफाफा खोला जाएगा।
2 .निविदादाता को अधिकृत विक्रेता का प्रमाणपत्र देना होगा।
3 .निविदादाता को झारखण्ड राज्य के वाणिज्यकर द्वारा निबंधन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, अपडेट आयकर रिर्टन, एवं वाणिज्य स्वच्छता प्रमाणपत्र देना होगा।
4. आपूर्तिकर्ता को उपस्करो/सामग्रीयों से संबंधित दर (सभी करो सहित) अंकित करना होगा।
5. कोटेशनदाता को मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक से इस बात का शपथ पत्र देना होगा की उनका प्रतिष्ठान/कम्पनी काली सूची में या रूग्ण अवस्था में नही है, तथा हर प्रकार के आरोपों एवं सभी प्रकार के सरकारी जांचों से मुक्त है।
6. कोटेशनदाताओं को सुरक्षित जमा राशि एवं शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से देय होगा। जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा विश्रामपुर मे भुगतेय होगा।
7. सामग्रीयों के विशिष्टियों के अनुरूप पाये जाने पर एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने पर ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
8. आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/निर्माणकर्ता के द्वारा सामग्रीयों की गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र देना होगा।
9. कोटेशन का निष्पादन नगर परिषद, विश्रामपुर के निविदा निस्तार समिति के द्वारा किया जाएगा।
10. आपूर्तिकर्ता को सभी सामग्री की आपूर्ति नगर परिषद, विश्रामपुर के कार्यालय में अपने खर्च पर कराना होगा।
11. मुहरबंद लिफाफे पर आपूर्तिकर्ता का नाम/पता सामग्री का नाम स्पष्ट अक्षरो में लिखना होगा।
12. सामानों की आपूर्ति आदेश के 15 दिनों के अंदर करना होगा। अन्यथा कुल मुल्य का एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्ति की कटौती विपत्र राशि से की जाएगी।
13. बिना कारण बताये किसी भी कोटेशन को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा निस्तार समिति के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।

Recd 01/07/17

30/05

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, विश्रामपुर

ज्ञापांक...179... दिनांक...30.5.17...

प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्षा/उपाध्यक्ष, नगर परिषद, विश्रामपुर को सूचनार्थ समर्पित।

30/05

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, विश्रामपुर

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक 199 दिनांक 30.5.17

प्रतिलिपिः—उपायुक्त, पलामू/आरक्षी अधिक्षक, पलामू/सदर अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, विश्रामपुर

ज्ञापांक 199 दिनांक 30.5.17

प्रतिलिपिः—कार्यालय के सूचना पट पर साट कर आम जनता को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, विश्रामपुर

ज्ञापांक 199 दिनांक 30.5.17

प्रतिलिपिः—जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ हेतु सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, विश्रामपुर

Gaurav kumar
01/06/2017

Scanned by CamScanner